

28/09/2021

वकील इमरत करारान 54-1 वकील अमीरुल
दारा भगत करवाया गया कि इतरगत प्रमाण
के लंबेचिह्न अमीरतय न्यायालय के प्रस्ताव मुक वाद
की विधि में ही मुक वाद मुक वाद विधि में ही जाने
ले अमीरत यलने प्रमाण नहीं होने के कारण जारिज
करवायी जावे।

वकील अमीरुल की बहल पर मतन किया
गया। पडावली को अवेकेशन किया गया। इतरगत
प्रमाण के लंबेचिह्न अमीरतय न्यायालय के मुक
वाद विधि में ही जाने कारण इतरगत अमीरत
यलने प्रमाण नहीं हो अमीरत विधि प्रमाण होने के
कारण न्यायालय के प्रस्ताव अमीरत प्रमाण प्रमाण
प्रमाण पर के जारिज किया जाती हो पडावली
केवल मुक वाद एक दर्ज नमक के अत ही बाद
आवश्यक कार्यवाही हेतु राखिल इतर हो।

9/11

अधिनतन - अमीरतय
में मुक वाद निर्दिष्ट
हो चुका है अतः
इस अधिनतन लिखित
हो चुकी है
अधिनतन 02